पत्रांक – 1/म02-08/2015....65....

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

झारखण्ड राज्य मध्याहन् भोजन प्राधिकरण

प्रेषक,

हंस राज सिंह,

निदेशक, झा0रा0म0भो0प्रा0।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,

झारखण्ड।

राँची, दिनांक–...21/05/2015

विषय :– मध्याहन भोजन योजनान्तर्गत बच्चों को दोपहर में पका हुआ भोजन के अतिरिक्त पूरक पोषण हेतु अंडा/फल उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि केन्द्र प्रायोजित मध्याहन भोजन योजना अन्तर्गत बच्चों को दोपहर में पका हुआ भोजन के अतिरिक्त राज्य योजना बजट से पूरक पोषण हेतु अंडा/फल उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके निमित राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

तथापि क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पाया जा रहा है कि कतिपय विद्यालयों में आपके द्वारा राशि एस0एम0सी0 को उपलब्ध नहीं कराये जाने/विद्यालय प्रधान की उदासीनता के कारण इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन समुचित ढंग से नहीं हो रहा है एवं यह भी पाया गया कि एक अण्डा के स्थान पर आधा अण्डा या फिर अण्डारहित पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

अतः उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि पूरक पोषण के रूप में अंडा/फल निश्चित रूप से बच्चों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन,

21/05/2015

(हंस राज सिंह)

निदेशक, झा0रा0म0भो0प्रा0

ज्ञापांक :– ....65..............   राँची, दिनांक.....21/05/2015.

प्रतिलिपि :– सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड से अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित करायी जाय।

2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

21/05/2015

(हंस राज सिंह)

निदेशक, झा0रा0म0भो0प्रा0